

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र /पंजिकाओं में रखा जायेगा।
 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/परिशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
 02 अप्रशिक्षित अध्यापकों को 01 वर्ष के भीतर प्रशिक्षित कर लिया जायेगा तथा जो कक्षा-कक्षा, पुरातकालय, प्रयोगशालाये निर्धारित माप के अनुसार नहीं हैं उन्हें 01 वर्ष के अन्दर निर्धारित माप के अनुसार निर्मित करा लिया जायेगा। विद्यालय के नाम भूमि का हरतानान्तरण 01 के भीतर कर लिया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किररी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किररी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरसी जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

महोदय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या: प्र. - ०१(1) XXIV-2/2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक, राठवाल मण्डल -पौड़ी।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
- 4- प्रबन्धक, ग्लेशियर पब्लिक स्कूल गुजरवाली, (तुनवाला) देहरादून।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

Handwritten signature and date: 02.08.14



Handwritten signature
Principal
Glacier Public School,
Nathuwawala, Dehradun.

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,
सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र -2,
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनांक 15 फरवरी, 2005

विषय: ग्लेशियर पब्लिक स्कूल गुजरवाली, (तुनवाला) देहरादून को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति।

महोदय,
उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि ग्लेशियर पब्लिक स्कूल गुजरवाली, (तुनवाला) देहरादून को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सौसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुभूत वेतनमानों तथा अन्य शर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे। यह कार्य 01 वर्ष के अन्दर सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

Handwritten signature
Principal
Glacier Public School
Nathuwawala, Dehradun